भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3007
13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विजयपुरा में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना

3007. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विजयपुरा निर्वाचन क्षेत्र में विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में सुधार करने के लिए क्या पहलें की गई हैं;
(ख) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत विजयपुरा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितनी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उन्नत/स्थापित की गई हैं और इस संबंध में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;
(ग) क्या सरकार की विजयपुरा निर्वाचन क्षेत्र में एनएचएम योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) केन्द्र सरकार की विजयपुरा निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी के मुद्दे का समाधान किस प्रकार करने की योजना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): देश की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र (ग्रामीण), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (शहरी और ग्रामीण) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (शहरी और ग्रामीण) जो भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के तीन स्तंभ हैं।

स्थापित मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में, 5,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 3000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र, 30,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 20,000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1,20,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 80,000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, जिला अस्पताल (डीएच), उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) और प्रथम रेफरल इकाई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए माध्यमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। हालाँकि, सरकार ने भारत में स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की है। योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करती है। विजयपुरा जिले सहित कर्नाटक राज्य के लिए एनएचएम के तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 15,324.05 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 में 7,613.96 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में 4,789.20 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में डीएच विजयपुरा को 250 बिस्तरों से 500 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड करने के लिए 3450 लाख रुपये की मंजूरी दी है। विजयपुरा में एमसीएच विंग के लिए वित्त वर्ष 2019 -20 में कुल 1200.00 लाख रुपये का बजट अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में सीएचसी विजयपुरा में दंत-चिकित्सा इकाईयों को मजबूत करने के लिए 3 लाख रुपये अनुमोदित किए गए थे।

हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 के अनुसार, विजयपुरा, कर्नाटक में सुविधा केंद्रों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

स्वास्थ्य सुविधा केंद्र	ग्रामीण	शहरी
उप केन्द्रों की संख्या	311	0
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	60	6
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	9	0
उप-मंडलीय/जिला अस्पतालों की संख्या	4	
जिला अस्पतालों की संख्या	1	

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम): यह 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश भर में भविष्य में किसी भी महामारी और प्रकोप का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और इन पर अनुक्रिया के लिए स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को मजबूत करना है। योजना की अवधि 5 वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक है।

योजना के तहत, **736 शहरी-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (यू-एचडब्ल्यूसी/एएएम), 30 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 30 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों (सीसीबी)** की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए योजना अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए **2021.88 करोड़ रुपये** की राशि का प्रावधान किया गया है।

कर्नाटक राज्य को चार वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए **1168.71 करोड़ रुपये** की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है, ताकि राज्य के प्रस्ताव के अनुसार **817 शहरी-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (यू-एचडब्ल्यूसी/एएएम), 21 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं**

(आईपीएचएल) और 21 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों (सीसीबी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण किया जा सके।

विजयपुरा जिले में पीएम-एबीएचआईएम के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिए गए प्रशासनिक अनुमोदन निम्नानुसार हैं:

1. विजयपुरा जिला अस्पताल में @ 1.25 करोड़ रुपये की दर से एक एकीकृत **जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला**।

2. विजयपुरा जिला अस्पताल में @ 44.50 करोड़ रुपये (2024-25) की दर से एक **100 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक (सीसीबी)।**

3. विजयपुरा जिले में **31 शहरी - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (यू-एचडब्ल्यूसी/एएएम)** अनुमोदित।

इसके अलावा, भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज II (ईसीआरपी-II) के तहत राज्य को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 की प्रारंभिक रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए तत्काल अनुक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेजी लाना है, जिसमें बाल चिकित्सा परिचर्या सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि ठोस परिणाम प्राप्त किए जा सकें। ईसीआरपी II के तहत कर्नाटक राज्य को 504.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इस पर केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि के दौरान दिए जाएंगे और इनसे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मानव संसाधन (एचआर) की कमी को दूर करने के लिए, एनएचएम के तहत देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने तथा उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को हार्ड एरिया भत्ता।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों / आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट / जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।

- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत द्वारा तय वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन भी शामिल है।
- एनएचएम के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्राथमिकता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक और प्रमुख कार्यनीति है।

******